झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक रिट याचिका सं**. 335/2023**

मो. जमील, पिता- दिवंगत मो. हसन, आयु- लगभग 38 वर्ष, गाँव- अलिगंज, थाना- अलिगंज, डाकघर- अलिगंज, जिला बर्धमान (पश्चिम बंगाल), वर्तमान में गाँव संख्या- 176 महुडी मेन रोड, डाकघर- नोआमुंडी बाजार, थाना- नोआमुंडी (बराजामदा), जिला चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम) झारखंड

याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता

बनाम

1.झारखंड राज्य

2.उप आयुक्त, अट + डाकघर + थाना + जिला- चाईबासा (पश्चिम)

3.पुलिस अधीक्षक चाईबासा अट डाकघर + थाना + जिला- चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)

4.जिला खनन अधिकारी, चाईबासा अट डाकघर + थाना + जिला- चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)

विरोधी पक्ष

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री आशुतोष आनंद, सहायक अटॉर्नी जनरल III
श्री बिनीत चंद्रा, सहायक अटॉर्नी जनरल III के सहायक अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है जिसमें उचित रिट (या) आदेश (या) निर्देश (07.02.2023 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए) का अनुरोध किया गया है जो कि जब्ती मामले संख्या 12/2022 में पारित किया गया था, जिसके तहत उत्तरदाता संख्या 2, पश्चिम सिंहभूम के उप आयुक्त, चाईबासा ने हाइवा वाहन को जब्त कर लिया है जिसका पंजीकरण संख्या जेएच 05 एएक्स 4407 है, जिसे नुआमुंडी पुलिस स्टेशन के मामला संख्या 04/2022 में जब्त किया गया था जो कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 414, 34 और खनिजों और खनिजों (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं 4 और 21 के तहत

दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत है। इसके साथ ही झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 9 और 11 के तहत भी यह कार्रवाई की गई है और उक्त वाहन की रिहाई का अनुरोध किया गया है।

3. इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उक्त हाइवा वाहन का मालिक है जिसका पंजीकरण संख्या जेएच 05 एएक्स 4407 है। इसे 24.01.2022 को खनिज निरीक्षक द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से रेत, पत्थर के चिप्स और लौह अयस्क का परिवहन करने के आरोप में जब्त किया गया था। हालांकि, वर्तमान याचिका के अनुच्छेद-4 में गलत तरीके से छापा गया है कि याचिकाकर्ता का वाहन नुआमुंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था, जबकि वास्तव में यह खनिज निरीक्षक था जिसने इस वाहन को जब्त किया और इसे नुआमुंडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए सौंपा। उक्त वाहन अब नुआमुंडी पुलिस स्टेशन के परिसर में है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने खनिज निरीक्षक द्वारा उक्त हाइवा वाहन की जब्ती की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है ताकि उनके इस तर्क को साबित किया जा सके।

4. इसे रिकॉर्ड में रखा जाए।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठे हैं। याचिकाकर्ता का हाइवा वाहन कभी भी किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं हुआ। उक्त वाहन की जब्ती के बाद, पुलिस अधीक्षक ने उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा से अनुरोध किया कि उक्त जब्त किए गए हाइवा वाहन (पंजीकरण संख्या जेएच 05 एएक्स 4407) के संबंध में कार्यवाही शुरू की जाए। उत्तरदाता संख्या 2, उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम ने उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद बिना याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच किए, जब्ती मामला संख्या 12/2022 शुरू किया। यह केवल खनिज निरीक्षक और पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान परिशिष्ट-6 की ओर आकर्षित किया, जो कि 07.02.2023 को उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम द्वारा पारित आदेश है और प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश में उप आयुक्त ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उक्त हाइवा वाहन खनिजों और खनिजों (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 और झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। याचिकाकर्ता का अधिवक्ता आगे न्यायालय का ध्यान संक्षिप्त रिपोर्ट के पृष्ठ-22 की ओर आकर्षित करता है, जो खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट है, और प्रस्तुत करता है कि खनिज निरीक्षक ने नियम 11 (i) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन को जब्त किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि खनिजों और खनिजों (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4ए) यह निर्धारित करती है कि जब्त किए गए वाहन को केवल उस न्यायालय के आदेश से नष्ट या निपटाया जा सकता है जो अपराध की संज्ञान लेने के लिए सक्षम हो। इस मामले में उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा किसी भी अपराध की संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय नहीं थे जैसा कि प्राथमिकी में आरोपित किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इस रिट याचिका में किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए उचित रिट (या) आदेश (या) निर्देश प्रदान किए जाएँ ताकि 07.02.2023 को पारित आदेश को रद्द किया जा सके और उक्त वाहन की रिहाई याचिकाकर्ता के पक्ष में की जा सके।

6. राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का अनुरोध इस न्यायालय द्वारा अन्य मामलों में पारित निर्णय से संबंधित है। इसलिए, राज्य को याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका में किए गए अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. बार में की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, यह उचित है कि खनिजों और खनिजों (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4ए) का उल्लेख किया जाए, जो इस प्रकार है:

> *"21. (4ए)* कोई भी खनिज, उपकरण, वाहन या कोई अन्य वस्तु जो उपधारा *(4)* के तहत जब्त की गई हो, उसे उस न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है जो उपधारा *(1)* के तहत अपराध की संज्ञान लेने के लिए सक्षम हो और इसे उस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।*"*

उक्त प्रावधान का संक्षिप्त अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि खनिजों और खनिजों (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4) के तहत जब्त किए गए किसी भी वाहन को केवल उस न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है जो धारा 21 (1) के तहत दंडनीय अपराध की संज्ञान लेने के लिए सक्षम हो।

8. निर्विवादित रूप से, प्रश्न में शामिल वाहन खनिजों और खनिजों (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4) के तहत जब्त किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय की विचाराधीन राय में, उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, उस न्यायालय के आदेश के बिना जो धारा 21 (1) के तहत दंडनीय अपराध की संज्ञान लेने के लिए सक्षम हो, प्रश्न में शामिल वाहन को जब्त करने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए, 07.02.2023 को उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम द्वारा पारित आदेश संख्या 12/2022 कानूनी रूप से स्थायी नहीं है।

9. तदनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें एक प्रमाण पत्र रिट जारी किया जाए जो कि 07.02.2023 को उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम द्वारा पारित आदेश को रद्द करे।

10. इसलिए, 07.02.2023 को उप आयुक्त, पश्चिम सिंहभूम द्वारा पारित आदेश संख्या 12/2022 को रद्द करने के लिए एक प्रमाण पत्र रिट जारी किया जाए।

11. जहां तक पंजीकरण संख्या जेएच 05 एएक्स 4407 वाले हाइवा वाहन की रिहाई के अनुरोध का सवाल है, याचिकाकर्ता उचित आवेदन दायर करके सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है ताकि उक्त वाहन को कानून के अनुसार रिहा किया जा सके।

12. यह आपराधिक रिट याचिका उपरोक्त अवलोकन के साथ स्वीकार की जाती है।

13. आदेशानुसार आदेश पारित।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांकित 07 दिसंबर, 2023

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|